

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1965/अग्राहायण 10, 1887
No. 175] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1965/AGRAHAYANA 10, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December 1965

No. 100/1/C/65.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 30th November, 1965, is hereby published for general information:—

“No. 1506

**AMENDMENTS TO THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF
BUSINESS IN LOK SABHA
(Fifth Edition)**

In pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the following amendments approved by Lok Sabha to the said Rules are hereby published:—

RULE 26

1. In rule 26, the words “which originates in the House” occurring at the end shall be omitted.

(1453)

RULE 30

2. In sub-rule (1) of rule 30, for the word "will", the word "shall" shall be substituted.

RULE 38

3. In rule 36; for the words "printed on", the words "placed on" shall be substituted.

RULE 39

4. For rule 39, the following shall be substituted, namely:—

"39. *Written answers to questions.*—(1) If a question is not distinguished by an asterisk, or if a question placed on the list of questions for oral answer on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day, a written answer to such question shall be deemed to have been laid on the Table at the end of the Question Hour or as soon as the questions for oral answer have been disposed of, as the case may be, by the Minister to whom the question is addressed:

Provided that if a member, on being called by the Speaker, states that it is not his intention to ask the question standing in his name, the question shall be treated as having been withdrawn and no written answer thereto shall be deemed to have been laid on the Table.

(2) If there is no Question Hour on any day on which the House sits, written answers to questions placed on the list of questions for written answer on that day, if any, shall be laid on the Table by a Minister on behalf of all the Ministers to whom such questions are addressed.

(3) No oral reply shall be required to a question to which a written answer is given and no supplementary questions shall be asked in respect thereof."

RULE 41

5. In clause (xxi) of sub-rule (2) of rule 41, for the word "before", the word "of" shall be substituted.

RULE 61

6. For rule 61, the following shall be substituted, namely:—

"61. *Time for taking up motion.*—The motion 'that the House do now adjourn' shall be taken up at 18.00 hours or at an earlier hour if the Speaker, after considering the state of business in the House, so directs."

RULE 69

7. In sub-rule (2) of rule 69, for the words "public funds", the words "the Consolidated Fund of India" shall be substituted.

RULE 75

8. In sub-rule (1) of rule 75, for the words "On the day on which any motion referred to in rule 74 is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed", the words "On a motion referred to in rule 74 being made" shall be substituted.

RULE 77

9. In sub-rule (1) of rule 77,—

- (i) in clause (a), the word "or" shall be added at the end;
- (ii) the proviso to clause (a) shall be omitted;
- (iii) the following proviso shall be added at the end of sub-rule, namely:—

"Provided that any member may object to any such motion being made if a copy of the report has not been made available for the use of members for two days before the day on which the motion is made

and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made."

RULE 97

10. In rule 97, the following words shall be added at the end, namely:—

"if in session or published in the Bulletin for the information of the members if the House is not in session."

RULE 103

11. For rule 103, the following shall be substituted, namely:—

"103. *Money Bill returned without recommendation.*—If a Money Bill passed by the House and transmitted to the Council is returned to the House without recommendation, the message to that effect shall be reported by the Secretary to the House if in session or published in the Bulletin for the information of the members if the House is not in session. The Bill shall then be presented to the President for his assent."

RULE 112

12. In sub-rule (1) of rule 112, the words "for the session" shall be omitted.

RULE 138

13. In rule 138, the following words shall be added at the end, namely:—

"if in session or published in the Bulletin for the information of the members if the House is not in session."

RULE 155

14. In rule 155, after the words "Each clause or schedule, or clause or schedule as amended, as the case may be", the following words shall be inserted, namely:—

"of a Bill seeking to amend the Constitution".

RULE 160

15. In clause (iii) (d) of rule 160, for the words "Central Government", the words "Government of India" shall be substituted.

RULE 160A

16. After rule 160, the following rule shall be inserted, namely:—

"160A. *Petitions dealing with financial matters.*—A petition, dealing with any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of Article 110 or involving expenditure from the Consolidated Fund of India, shall not be presented to the House unless recommended by the President."

RULE 162

17. The existing rule shall be renumbered as sub-rule (1) of that rule and the following shall be inserted as sub-rule (2) thereof, namely:—

"(2) Where there is more than one signatory to a petition, at least one person shall sign, or, if illiterate, affix his thumb impression, on the sheet on which the petition is inscribed. If signatures or thumb impressions are affixed to more than one sheet, the prayer of the petition shall be repeated at the head of each sheet."

RULE 168

18. For the marginal heading to rule 168, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Form of presentation."

RULE 180

19. In rule 180, sub-rule (3) shall be omitted.

RULE 182

20. In rule 182,—

- (i) in sub-rule (1), the figure and brackets "(1)" shall be omitted;
- (ii) in sub-rule (2),—
 - (a) the figure and brackets "(2)" shall be omitted; and
 - (b) the words "Provided that" shall be added at the beginning.

RULE 204

21. (i) Rule 204 shall be renumbered as sub-rule (1) of that rule and the following shall be added as sub-rule (2) thereof namely:—

- "(2) The Budget shall be presented to the House in such form as the Finance Minister may, after considering the suggestions, if any, of the Estimates Committee, settle,"

RULE 206

22. Sub-rule (3) of rule 206 shall be omitted.

RULE 208

23. In sub-rule (2) of rule 208, after the words and figures "at 17.00 hours", the words "or at such other hour as the Speaker may fix in advance" shall be inserted.

RULE 255

24. In the Explanation to rule 255, after the word "For", the word "the" shall be inserted.

RULE 269

25. In sub-rule (2) of rule 269, for the word "tendered" the word "given" shall be substituted.

RULE 273

26. In clause (vi) of rule 273, for the word "tendered", the word "given" shall be substituted.

RULE 308

27. To rule 308, the following proviso shall be added, namely:—

- "Provided that the Committee shall not exercise its functions in relation to such public undertakings as are allotted to the Committee on Public Undertakings by these rules or by the Speaker."

RULE 310

28. To rule 310, the following proviso shall be added, namely:—

- "Provided that the Committee shall not exercise its functions in relation to such public undertakings as are allotted to the Committee on Public Undertakings by these rules or by the Speaker."

RULES 312A and 312B

29. After rule 312, the following rules shall be inserted, namely:—

"(gg) Committee on Public Undertakings

312A. *Functions of Committee on Public Undertakings.*—(1) There shall be a Committee on Public Undertakings for the examination of the working of the public undertakings specified in the Fourth Schedule. The functions of the Committee shall be—

- (a) to examine the reports and accounts of the public undertakings specified in the Fourth Schedule;

- (b) to examine the reports, if any, of the Comptroller and Auditor-General on the public undertakings;
- (c) to examine, in the context of the autonomy and efficiency of the public undertakings, whether the affairs of the public undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices; and
- (d) to exercise such other functions vested in the Committee on Public Accounts and the Committee on Estimates in relation to the public undertakings specified in the Fourth Schedule as are not covered by clauses (a), (b) and (c) above and as may be allotted to the Committee by the Speaker from time to time:

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following, namely:—

- (i) matters of major Government policy as distinct from business or commercial functions of the public undertakings;
- (ii) matters of day-to-day administration;
- (iii) matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a particular public undertaking is established.

312B. *Constitution of Committee.*—(1) The Committee shall consist of not more than ten members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote:

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee, and that if a member, after his election to the Committee, is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

- (2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year:

Provided that the members of the Committee constituted for the first time shall hold office for the duration of the Third Lok Sabha."

RULE 334A

30. After rule 334, the following rule shall be inserted, namely:—

"334A. *Publicity of notices in advance.*—A notice shall not be given publicly by any member or other person until it has been admitted by the Speaker and circulated to members:

Provided that a notice of a question shall not be given any publicity until the day on which the question is answered in the House."

RULE 361

31. In sub-rule (1) of rule 361, for the words "sit down", the words "resume his seat" shall be substituted.

FORM 'C' IN THIRD SCHEDULE

32. In Schedule III, for Form 'C', the following shall be substituted, namely:—

"C

I have the honour to inform you that Shri..... Member of the Lok Sabha, who was arrested/detained/convicted on..... (date), for..... (reasons for arrest/detention/conviction), was released on..... (date) on..... (grounds for release)."

FOURTH SCHEDULE

33. After the Third Schedule, the following Schedule shall be added, namely:—

‘FOURTH SCHEDULE

(See rule 312A)

List of Public Undertakings

PART I

(Public Undertakings established by Central Acts)

1. The Damodar Valley Corporation.
2. The Industrial Finance Corporation.
3. The Indian Airlines Corporation.
4. The Air India International.
5. The Life Insurance Corporation.
6. The Central Warehousing Corporation.
7. Oil and Natural Gas Commission.

PART II

(Public Undertakings which are Government Companies formed under the Companies Act)

Every Government Company whose annual report is placed before the Houses of Parliament under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956.

PART III

1. Hindustan Aircraft Ltd., Bangalore.
2. Bharat Electronics Ltd., Bangalore.
3. Mazagon Docks Ltd., Bombay.
4. Garden Reach Workshop Ltd., Calcutta.”

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक-सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1965

संख्या 100/1/सी/65:—निम्नलिखित कंडिका, जो 30 नवम्बर, 1965, के लोक-सभा समाचार—भाग 2 में प्रकाशित हुई थी, सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है :—

“संख्या - 1506

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण)
में संशोधन

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 331 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, उक्त नियमों में लोक-सभा द्वारा अनुमोदित निम्न-लिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं:—

नियम 26

1. नियम 26 में, “गैर-सरकारी सदस्यों के” और “कार्य के सम्पादन” शब्दों के बीच प्रयुक्त शब्द “ऐसे” तथा अन्त में प्रयुक्त शब्दों “जिसका आरम्भ सभा में हो” का लोप किया जायेगा ।

नियम 30

† 2.

*

*

*

नियम 36

3. नियम 36 में, “मुद्रित किया” शब्दों के स्थान पर, “रखा” शब्द रखा जायेगा ।

नियम 39

4. नियम 39 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

**“प्रश्नों के लिखित
उत्तर**

39. (1) यदि किसी प्रश्न पर तारांक लगा कर विभेद न किया गया हो, अथवा यदि किसी दिन मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखे गये किसी प्रश्न को उस दिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय में उत्तर के लिये न पुकारा जाये तो उस प्रश्न का लिखित उत्तर, जिस मंत्री को प्रश्न सम्बोधित हो उसके द्वारा, प्रश्नकाल की समाप्ति पर अथवा मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों के निबटाये जाने के पश्चात्, यथास्थिति, सभा-पटल पर रखा गया माना जायेगा :

परन्तु यदि कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर, यह कहता है कि उसके नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने का उसका विचार नहीं है, तो प्रश्न को वापस लिया समझा जायेगा और उसका कोई लिखित उत्तर सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना जायेगा ।

(2) यदि किसी ऐसे दिन प्रश्न-काल न हो जिस दिन कि सभा की बैठक हो तो उस दिन के लिए लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में रखे गये प्रश्नों, यदि कोई हों, के लिखित उत्तर सभी मंत्रियों की ओर से जिनको कि ये प्रश्न सम्बोधित हों एक मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे जायेंगे ।

(3) जिस प्रश्न का लिखित उत्तर दिया जाये उसका कोई मौखिक उत्तर अपेक्षित नहीं होगा और उसके सम्बन्ध में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे ।”

नियम 41

5. नियम 41 के नियम (2) के खण्ड 21 में से शब्द “समक्ष” का लोप किया जायेगा ।

† यह संशोधन हिन्दी संस्करण में लागू नहीं होता ।

नियम 61

6. नियम 61 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

“प्रस्ताव को लेने का समय 61. प्रस्ताव “कि सभा अब स्थगित हो” 16.00 बजे या यदि अध्यक्ष, सभा में कार्य की स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय लिया जायेगा।”

नियम 69

7. नियम 69 के उप-नियम (2) में, “लोक-निधियों” शब्दों के स्थान पर, “भारत की संचित निधि” शब्द रखे जायेंगे।

नियम 75

8. नियम 75 के उप-नियम (1) में, “जिस दिन नियम 74 में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव किया जाये उस दिन या उसके बाद किसी दिन, जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाये,” शब्दों के स्थान पर, “नियम 74 में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव के किये जाने पर” शब्द रखे जायेंगे।

नियम 77

9. नियम 77 के उप-नियम (1) में,—

- (i) खंड (क) में, “या” शब्द अन्त में जोड़ा जायेगा ;
- (ii) खण्ड (क) के परन्तुक का लोप किया जायेगा ;
- (iii) उप-नियम के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये प्रस्ताव किये जाने के दिन से दो दिन पहले के लिये उपलब्ध न कर दी गई हो, तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।”

नियम 97

10. नियम 97 में, “राज्य-सभा से प्राप्त सन्देश” शब्दों के पश्चात् “यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो” शब्द जोड़े जायेंगे और अन्त में, “या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो सदस्यों की जानकारी के लिए लोक-सभा समाचार में प्रकाशित किया जायेगा” शब्द जोड़े जायेंगे।

नियम 103

यम 103 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

103. यदि सभा द्वापा पारित तथा राज्य-सभा को पहुंचाया गया कोई धनविधेयक सभा को बिना सिफारिश के लौटा दिया जाये तो उस सम्बन्ध का उसका सन्देश यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो सचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदित किया जायेगा या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो सदस्यों की जानकारी के लिए लोक-सभा समाचार में प्रकाशित किया जायेगा।

कारी के लिये लोक-सभा समाचार में प्रकाशित किया जायेगा। फिर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए उपस्थित किया जायेगा।”

नियम 112

12. नियम 112 के उप-नियम (1) में “उस सत्र के लिये” शब्दों का लोप किया जायेगा।

नियम 138

13. नियम 138 में, “राज्य-सभा से प्राप्त सन्देश” शब्दों के पश्चात् “यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो” शब्द जोड़े जायेंगे और अन्त में “या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो सदस्यों की जानकारी के लिए लोक-सभा समाचार में प्रकाशित किया जायेगा” शब्द जोड़े जायेंगे।

नियम 155

14. नियम 155 में, “यथास्थिति, प्रत्येक खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में खंड या अनुसूची”, शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् :—

“संविधान में संशोधन की व्यवस्था करने वाले विधेयक का प्रत्येक खंड या अनुसूची, अथवा संशोधित रूप में खंड या अनुसूची, यथास्थिति,”

नियम 160

15. नियम 160 के खण्ड (3) (घ) में “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर “भारत सरकार” शब्द रखे जायेंगे।

नियम 160-क

16. नियम 160 के पश्चात् निम्नलिखित नियम निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

“**वित्तीय विषयों** 160-क: ऐसी याचिका, जो अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) के उपखण्डों में सम्बन्धित (क) से (च) में उल्लिखित किसी विषय से सम्बन्धित हो अथवा जिस में **याचिकायें** भारत की संचित निधि से व्यय अन्तर्गस्त हो, सभा में उपस्थित नहीं की जायेगी जब तक उस पर राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश न की गई हो।”

नियम 162

17. वर्तमान नियम को उस नियम के उप-नियम (1) के रूप में पुनरंकित किया जायेगा और उसके उपनियम (2) के रूप में निम्नलिखित निविष्ट किया जायेगा; अर्थात् :—

“जब किसी याचिका के एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हों, तो उस पत्र पर जिस पर याचिका उत्कीर्ण की गई हो कम से कम एक व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, अथवा, यदि वह निरक्षर हो, तो अपने अंगूठे का निशान लगायेगा। यदि एक से अधिक पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये हों, अथवा अंगूठों के निशान लगाये गये हों, तो प्रत्येक पत्र के शीर्ष पर याचिका की प्रार्थना को दोहराया जायेगा।”

नियम 168

18. नियम 168 के हाशिया-शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित हाशिया-शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात् :—

“उपस्थापन का रूप”

नियम 180

19. नियम 180 में, उप-नियम (3) का लोप किया जायेगा।

नियम 182

20. नियम 182 में,—

(एक) उप-नियम (1) में, अंक तथा कोष्ठकों “(1)” का लोप किया जायेगा।

(दो) उप-नियम (2) में,—

(क) अंक तथा कोष्ठकों “(2)” का लोप किया जायेगा; और

(ख) आरम्भ में “परन्तु” शब्द जोड़ा जायेगा।

नियम 204

21. (एक) नियम 204 को उस नियम के उप-नियम (1) के रूप में पुनर्रचित किया जायेगा और उनके उप-नियम (2) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

“(2) आय-व्ययक सभा के सामने ऐसे रूप में उपस्थित किया जायेगा जो वित्त मंत्री, प्राक्कलन समिति के सुझावों पर, यदि कोई हों, विचार करने के बाद तय करे,”

नियम 206

22. नियम 206 के उप-नियम (3) का लोप किया जायेगा।

नियम 208

23. नियम 208 के उप-नियम (2) में, “17.00 बजे” अंकों तथा शब्द के पश्चात् “अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो वह पहले से निश्चित कर दे” शब्द जोड़े जायेंगे

नियम 255

† 24. * * *

नियम 269

† 25. * * *

नियम 273

† 26. * * *

† ये संशोधन हिन्दी संस्करण में लागू नहीं होते।

नियम 308

27. नियम 308 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में, जो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी।”

नियम 310

28. नियम 310 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में, जो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी।”

नियम 312-क और 312-ख

29. नियम 312 के बाद, निम्नलिखित नियम निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

“(छ छ) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

सरकारी उपक्रमों 312-क. (1) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के कार्य-
सम्बन्धी समिति संचालन की जांच करने के लिए एक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति होगी।
के कृत्य समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

- (क) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच करना;
- (ख) सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की, यदि कोई हों, जांच करना;
- (ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्य-कुशलता के संदर्भ में, यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धान्तों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं; और
- (घ) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उपरोक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत न आते हों और जो समय समय पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जायें :

परन्तु समिति निम्नलिखित में से किसी के बारे में भी जांच और छान-बीन नहीं करेगी, अर्थात् :—

- (एक) प्रमुख सरकारी नीति सम्बन्धी मामले जो सरकारी उपक्रमों के व्यापार अथवा वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न हैं;
- (दो) दिन-प्रति-दिन के प्रशासन सम्बन्धी मामले;

(तीन) ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए उस विशेष संविधि में व्यवस्था की गई है जिस के अन्तर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित किया गया है।

समिति का गठन 312-ख. (1) समिति में दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद, मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु प्रथम बार गठित की गयी समिति के सदस्य तृतीय लोक-सभा की अवधि के लिये पदधारण करेंगे।”

नियम 334-क

30. नियम 334 के बाद, निम्नलिखित नियम निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

“सूचनाओं का पहले से विख्यापन 334-क. किसी सूचना का विख्यापन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा सूचित न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो :

परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का, उस दिन तक, कोई विख्यापन नहीं किया जायेगा जिस दिन कि उस प्रश्न का सभा में उत्तर दिया जाये।”

नियम 361

31. नियम 361 के उप-नियम (1) में “बैठ जायेगा” शब्दों के स्थान पर “अपना स्थान ग्रहण कर लेगा” शब्द रखे जायेंगे।

तृतीय अनुसूची में प्रपत्र “ग”

32. तृतीय अनुसूची में, प्रपत्र “ग” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

“ग

मुझे आपको सूचना देनी है कि लोक-सभा के सदस्य श्री, _____

को, जिसे _____ (तिथि)

को _____ (बंदीकरण/निरोध/दोषसिद्धि के कारण)

के कारण बंदी बनाया गया/निरुद्ध किया गया/सिद्धदोष ठहराया गया था, _____

(तिथि) को _____ (रिहाई के कारण) रिहा

कर दिया गया था।”

चतुर्थ अनुसूची

33. तृतीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

‘चतुर्थ अनुसूची

(देखिये नियम 312-क)

सरकारी उपक्रमों की सूची

भाग 1

(केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित किये गए सरकारी उपक्रम)

1. दामोदर घाटी निगम ।
2. औद्योगिक वित्त आयोग ।
3. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ।
4. एयर इंडिया इंटरनेशनल ।
5. जीवन बीमा निगम ।
6. सैन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन ।
7. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ।

भाग 2

(सरकारी उपक्रम जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई सरकारी कम्पनियां हैं)

प्रत्येक सरकारी कम्पनी जिसका वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत संसद् की सभाओं के समक्ष रखा जाता है ।

भाग 3

1. हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर ।
2. भारत इलेक्ट्रानिक्स, लिमिटेड, बंगलौर ।
3. मझगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई ।
4. गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता ।”

शामलाल शकधर,
सचिव ।

